संख्या–244 / एक–10–2021–33(05) / 2020

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांक 17 फरवरी, 2021

विषयः–कोरोना वायरस (कोविड–19) के परिप्रेक्ष्य में जनपद सहारनपुर में फंसे हुए अन्य जनपदों / प्रान्तों के श्रमिकों / व्यक्तियों को उनके गृह प्रान्तों में रेलमार्ग से पहुँचाने हेतु रेल विभाग को भुगतान की धनराशि के समायोजन हेतु धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–514 / एक–10–2020–33(05) / 2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 द्वारा उत्तर रेलवे के भुगतान हेतु राहत आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 50.00 करोड की धनराशि में से रू0 25,32,240 / –की धनराशि जिलाधिकारी, सहारनपुर के निवर्तन पर रखी गयी है।

2– जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या–5132 / दै0आ0 / 2020–21, दिनांक 06.01.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्यय के अनुदान सं0–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पॉस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत रु0 25,32,240.00 की धनराशि आवंटित की गयी है, जबकि जनपद सहारनपुर द्वारा रेलवे विभाग को दैवीय आपदा के अनुदान संख्या–51 के लेखाशीर्षक–"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–11–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय" के अन्तर्गत टी0आर0 27 से आहरित करते हुए भुगतान किया गया है। उक्त स्थिति में टी0आर0 27 से आहरित की गयी धनराशि के समायोजन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के मानक मद–11 से रू0 25,32,240.00 की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– जिलाधिकारी, सहारनपुर के उक्त अनुरोध के कम में सम्यक विचरोपरान्त शासनादेश संख्या–514 / एक–10–2020–33(05) / 2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 को निरस्त करते हुए टी0आर0 27 से आहरित की गयी धनराशि के समायोजन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के मद संख्या–11 से वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 25,32,240 / –की धनराशि निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, सहारनपुर के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:–

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0–ए–1–803 / दस–2013–10(28) / 2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त / जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0–32–7 / 2014–एनडीएम–1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक / दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–11–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या–244(1)/एक–10–2021–33(05)/2020 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– मण्डलायुक्त, सहारनपुर, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5– कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, सहारनपुर, उ0प्र0।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।